"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई 2007—आषाढ़ 29, शक 1929

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. मेघा अग्रवाल सुपुत्री साहजी श्री सुरेश कुमार जी अग्रवाल, निवासी श्यामकुंज, दुर्गा मंडप के सामने जूट मिल रोड, रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ. ग.) की हूं. मेरा विवाह दिनांक 13-05-2007 को श्री प्रतीक अग्रवाल आ. श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी मकान नं. ए/31, विद्युत नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ. ग.) के साथ हुआ. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती नेहा अग्रवाल जौजे श्री प्रतीक अग्रवाल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती नेहा अग्रवाल जौजे श्री प्रतीक अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

कु. मेघा अग्रवाल
सुपुत्री-साहजी श्री सुरेश कुमार जी अग्रवाल
निवासी-श्यामकुंज, दुर्गा मंडप के सामने
जूट मिल रोड, रायगढ़
जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती नेहा अग्रवाल
जौजे श्री प्रतीक अग्रवाल
निवासी-मकान नं. ए/31,
विद्युत नगर, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं गौरी शंकर आत्मज श्री सुरजय राम गोधरा, निवासी ग्राम पोहरका, तह. इलेनाबाद, जिला सिरसा हाल मुकाम मकान नं. बी-15, राधा स्वामी पार्क, बैरनबाजार रायपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के साथ उपनाम को जोड़कर गौरी शंकर गोधरा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे गौरी शंकर गोधरा आ. श्री सुरजय राम गोधरा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
गौरी शंकर आत्मज-श्री सुरजय राम गोधरा निवासी-मकान नं. बी-15, राधा स्वामी पार्क, बैरनबाजार, रायपुर (छ. ग.)	गौरी शंकर गोधरा आत्मज-श्री सुरजय राम गोधरा निवासी-मकान नं. बी-15, राधा स्वामी पार्क, बैरनबाजार रायपुर (छ. ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

Raipur, the 5th July 2007

TENDER NOTICE

No. GB-IV/Paper-(2) 2007-2008/562.— Sealed Tenders are invited for supply of approximately 145 M. T. (± 25%) White Offset Paper and 140 M. T. other various kinds of papers i. e. Cover Manila, Maplitho and Photo Copier Paper etc., for the Printing works of the department to the Govt. Press at Raipur/Rajnandgaon superscribed with the words Tender for Printing paper 2007-2008 or invited from the Paper mills or their Authorised Agents/Dealers of manufacturing Mills having Excise clearance for 1600 Tonnes (only for White Offset Paper) based on 50 TPD about 320 Industrial days. Tenders must reach this office latest by 3.00 P.M. on 4-8-07 along with test report from Govt. laboratory.

2. The tender will be considered on the tender form supplied by us. It can also be submitted on the form downloaded from our website www.etendersindia. net

3. The tenders will be opened on the same day at 4.00 P.M. in the Office of the undersinged in the presence of such tenderers or their authorised representatives also may be present. The tenders, samples along with test report from Govt. Laboratory and other tender documents received after the prescribed date and time will not be accepted under any circumstances irrespective of means of despatch and delivery.

4. The details of specifications of the papers and their quantities Required is given in the Tender Form. Tender Form can be obtained from Office of the Director, Govt. Printing and Stationery, C.G., Raipur-492001 Near Commercial Tax Office, Civil Line in person on any working days during working hours upto 1-8-07 at the cost of Rs. 1000.00 each in cash or by post for Rs. 1100.00 payable by demand draft in favour of the Director, Govt. Printing and Stationery, C.G., Raipur but NOT BY POSTAL ORDER/MONEY ORDER. The Tender form by post will be sent only on

the condition that the required Bank Draft and application for purchase of tender form is received in this office upto 28-8-07. The tender form will be despatched by Registered Post or by Speed Post or Courier Services but this office shall not be responsible if it is delivered late due to postal delay at both ends. It is advisable that tender form may be obtained in person. Cost of Tender Form once received shall not be refunded.

5. In case if tenderer obtained the tender form from our website he shall have to submitted Rs. 1000 (Cash) in our office day before the date of submission of tender otherwise the tender will not be accepted.

Note :— Tender form can be downloaded from www.etendersindia. net.

Sd/-
(N. S. Mandavi)
Director,
Govt. Printing and Stationery Department
Behind Old Commissioner Office
C. G. Raipur.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 20 जून 2007

रा. प्र. क्र. ब/121 वर्ष 2006-07/1061/वाचक-1/अ.वि.अ./ट्रस्ट.—एतद्द्वारा सर्वसाधारण नागरिकों को सूचित किया जाता है कि आवेदक महन्त मोहितदास गुरू वैदेहीदास सर्वराकार एवं महन्त श्रीराम जानकी (छोटे) मंदिर पिपरिया ने इस न्यायालय के समक्ष धारा 09 (1) म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय में संस्थित लोक न्यास पंजी के क्रमांक 07 में दर्ज श्रीराम जानकी (छोटे) मंदिर पिपरिया के महन्त एवं सर्वराकार महन्त सीतारामदास गुरु स्व. रामसेवकदास की मृत्यु दिनांक 19-5-2007 को हो गई है. महन्त एवं सर्वराकार स्व. सीतारामदास अपनी मृत्यु के पूर्व आवेदक को संतोषी अखाड़ा निर्मोही परम्परा के अनुसार अखिल भारतीय की पंच रामानन्दी संतोषी अखाड़ा की ओर से समस्त अखाड़ों के महन्तों की उपस्थिति एवं सहमति से नागा संज्ञापद प्रदान कर अपना उत्तराधिकारी मनोनित किया गया हैं. इस कारण लोक न्यास पंजी के क्रमांक 07 पर स्व. महन्त सीतारामदास सर्वराकार के स्थान पर अपना नाम महन्त एवं सर्वराकार के रूप में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया है.

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर इस न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है. यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर किसी व्यक्ति/संस्था को जिसका संबंध या हित हो इस न्यायालय से ईश्तहार प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपना दावा/आपत्ति स्वत: या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालयीन समयावधि में प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत समयावधि पश्चात् प्राप्त दावा/उजर/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 20-6-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुहर से जारी किया गया.

सिद्धार्थदास,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, डौण्डीलोहारा, जिला- दुर्ग

डौण्डीलोहारा, दिनांक 16 मई 2007

प्रारूप-पांच
[नियम 5 (1) देखिये]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 का उपनियम (1) देखिये]

लोक न्यास के पंजीयक, अनुविभागीय अधिकारी, डौण्डीलोहारा, जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 1144/प्र.-1/अ.वि.अ./2007.—क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा (2) की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं राजेश सुकुमार टोप्पो, डौण्डीलोहारा, जिला-दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 16-5-2007 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपर्युक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	राजमल तीजोबाई रिलिजियस एवं चेरिटेबल ट्रस्ट, डौण्डीलोहारा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)
(2)	संपत्ति का विवरण	:	नगद राशि 25,000/- पच्चीस हजार रुपये.

राजेश सुकुमार टोप्पो,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2007

क्रमांक/125/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री दिप्तेश चटर्जी आत्मज श्री तरूण कुमार चटर्जी निवासी सिविल लाईन राजातालाब, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 6-8-2007 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1) पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता : श्री कालीप्रसाद चटर्जी मेमोरियल ट्रस्ट, सिविल लाईन राजातालाब, रायपुर.

(2) चल संपत्ति : निरंक

(3) अचल संपत्ति : निरंक

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.